रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम० 14/91.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 9 अप्रैल, 1991/19 चैत्र, 1913

हिमाचल प्रदेश सरकार

पशु पालन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 मार्च, 1991

संख्या ए०एच०वाई०-एफ०(5)-3/85-II.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डा० परस राम नेगी, परियोजना अधिकारी

(कुक्कट), शिमला को हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् में डा0 दशरथ राज (सेवा-निवृत्त) के स्थान पर रजिस्ट्रार नियुक्त करने के सहर्ष आदेश देते हैं। अधिकारी सरकार की इच्छा बने रहने तक कार्य करते रहेंगे।

आदेश द्वारा,

टी0 आई0 सुव्रतन,
सचिव।

कार्यालय उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय आदेश

धर्मशाला-176215, 26 जनवरी, 1991

संख्या 4000-4006,---क्योंकि श्री रणवीर सिंह, पंच, ग्राम पंचायत, गुरनवाड़, विकास खण्ड परागपुर, जिला कांगड़ा की लोक निर्माण विभाग में नियुक्ति हो चुकी है।

और क्योंकि सरकारी पद पर नियुक्ति होने के कारण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 10 के अन्तर्गत अयोग्यता समझे जाते हैं तथा इसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी ने की है।

अतः मैं, बी0 के0 अग्रवाल, अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला श्री रणवीर सिंह, पंच, ग्राम पंचायत गुरनवाड़, विकास खण्ड परागपुर, की सरकारी पद पर नियुक्ति होने के कारण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 19 (बी) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्काल उक्त पंच के पद को रिक्त घोषित करता हूं।

धर्मशाला-176215, 14 मार्च, 1991

संख्या 4129-33.---विकास खण्ड अधिकारी, परागपुर ने अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया है कि आप की ग्राम पंचायत की डिस्पैंसरी भवन निर्माण के लिए वर्ष 1980-81 में मु0 3,000/- रुपये निर्माण कूहल सियूल के लिए वर्ष 1983-84 में मु08,575/- रुपये वर्ष 1984-85 में कूहल दोदीयों के लिए मु01,560/- रुपये दिये गये। इसके अतिरिक्त आपको आपके कार्यकाल में मु0 5,000/- रुपये पंचायत घर निर्माण की प्रथम किश्त तथा डंगा राजकीय प्राथमिक पाठशाला के निर्माण के लिए मु05,000/- रुपये दिये परन्तु उक्त अनुदान को न गत पंचायत ने प्रयोग किया और न ही आपने अपने कार्यकाल में प्रयोग किया। प्रयोग न किये जाने की दशा में आपको विकास खण्ड अधिकारी द्वारा समय-समय पर अनेक पत्र इस आशय से लिखे गये कि अनुदान यदि उपयोग नहीं किया तो इसे वापिस लौटा दिया जाए। आप द्वारा न कार्य का निर्माण किया गया और न ही राशि वापिस की अपितु आप द्वारा किसी भी पत्र का उत्तर नहीं दिया गया। इस से सिद्ध होता है कि आप जानबूझकर सरकारी अनुदान को व्यय नहीं कर रहे हैं। और इस राशि को अनावश्यक तौर पर रोके रखा है। यही नहीं जब आपको ज्ञात हुआ कि पंचायत घर निर्माण योजना की राशि आपके खर्च न करने के कारण योजना रद्द कर दी गई तो आपने इस राशि में से मु0 1,790 रुपये की 30 बोरी सिमेन्ट क्रय करके रख ली जिसका आज दिन तक कोई प्रयोग नहीं किया गया।

और यह कि आप द्वारा 1-4-90 तथा 2-4-90 को 66 बोरी सिमेन्ट खरीद किया गया परन्तु अंकेक्षण के समय केवल 30 बोरियां सिमेन्ट ही बताया गया इससे सिद्ध होता है कि 66 बोरी सिमेन्ट आप द्वारा गबन किया गया। इन उपरोक्त तथ्यों से सिद्ध होता है कि आप सभा निधि का दुरुपयोग/छलहरण कर रहे हैं, और बिना किसी कारण के अनुदान को रोक रखा है। आप द्वारा ऐसा करना, अपने कर्त्तव्यों के पालन में दूराचरण का दोष समझा जाता है।

अतः मैं, बी0 के0 अग्रवाल, अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत बने नियम, 1971 के नियम 77 के अनुसार श्री प्रकाश चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत सियूल को कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि क्यों न इन्हें प्रधान पद से निलम्बित/निष्काषित किया जाए। आप का उत्तर इस पत्र के प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर-भीतर आवश्यमेव पहुंचा जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि आपको अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना है और एक पक्षीय कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

बी0 के0 अग्रवाल,
अतिरिक्त उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

स्थानीय स्वायत्त प्रशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला, 23 मार्च, 1991

संख्या एल0एस0 जी0 ए0 (4) 23/77-I.—चूंकि अधिसूचित क्षेत्र समिति महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के प्रधान तथा सदस्यों का कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है अतः अब, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम नं0 19) की धारा 257 की उप-धारा (1) के (डी) तथा (ई) के अन्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों को अधिसूचित क्षेत्र समिति मैहतपुर के लिए तत्काल तीन वर्ष के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

सरकारी सदस्य :

1.	उप मण्डल अधिकारी, (ना0) ऊना	प्रधान
2.	तहसीलदार, ऊना	सदस्य
3.	सहायक अभियन्ता (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) मैहतपुर (बसदेहड़ा)।	सदस्य
4.	सहायक अभियन्ता (भवन तथा सड़क) ऊना नं0 2	सदस्य
5.	सहायक अभियन्ता (बिजली) मैहतपुर (बसदेहड़ा)	सदस्य
6.	चिकित्सा अधिकारी, राजकीय औषधालय, मैहतपुर (बसदेहड़ा)	सदस्य
7	मैनेजर उद्योग केन्द्र, मैहतपुर (बसदेहड़ा)	सदस्य

गैर-सरकारी सदस्य :

1.	श्री किशोरी लाल भारद्वाज सुपुत्र श्री शिव दित्ता, निवासी बसदेहड़ा	सदस्य
2.	श्री बलदेव सिंह सुपुत्र श्री वतन सिंह, निवासी बसदेहड़ा	सदस्य

3.	श्री केवल कृष्ण सुपुत्र श्री मंगत राम, निवासी बसदेहड़ा	सदस्य
4.	श्री बाल कृष्ण सुपुत्र श्री राम रखा, निवासी बसदेहड़ा	सदस्य
5.	श्री बनवारी लाल सुपुत्र श्री योग दत्त, निवासी बसदेहड़ा	सदस्य
6.	श्री रत्न चन्द सुपुत्र श्री माडू राम, निवासी बसदेहड़ा (अनु0 जाति)	सदस्य
7.	श्री राम अवतार सुपुत्र श्री किशन चन्द, निवासी बसदेहड़ा	सदस्य
8.	श्री विशन स्वरूप सुपुत्र श्री अमर नाथ, निवासी बसदेहड़ा	सदस्य
9.	श्रीमती शीला देवी सुपुत्री श्री रिखी राम, निवासी बसदेहड़ा	सदस्य
10.	श्रीमती हरवंश कौर विधवा श्री किशन सिंह, निवासी बसदेहड़ा (अनु0 जाति)	सदस्य
11.	श्री भवीषण सिंह सुपुत्र श्री उधो राम, निवासी बसदेहड़ा	सदस्य
12.	श्री हेत राम सुपुत्र श्री राम दित्ता कपिला, निवासी बसदेहड़ा	सदस्य
13.	श्री गुरू दत्त सुपुत्र श्री राम आसरा, विशिष्ट, टैन्ट हाऊस, बसदेहड़ा	सदस्य

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।